न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

ाजस्व अपील संख्या :–06 / 2019

भागचन्द पुत्र गंगाराम जाति जाटव निवासी वमनपुरा तहसील व जिला भरतपुर।

....अपीलान्ट

बनाम

1. योगेशचन्द
2. उमेशचन्द } पिसरान बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी वमनपुरा तहसील व जिला भरतपुर
3. प्रहलाद
4. तहसीलदार भरतपुर जरिये पैरोकार सरकार तहसील भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्व आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 07.03.2019 बावत् नामान्तकरण संख्या 478 वाके ग्राम वमनपुरा तहसील भरतपुर।

———

उपस्थितः–

1. श्री जीतेन्द्र कुमार अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री हनुमान प्रसाद गोयल अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 10.08.2021**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0भू0राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 07.03.2019 तहसीलदार भरतपुर बाबत नामान्तकरण संख्या 478 वाके ग्राम वमनपुरा तहसील भरतपुर ने इस आशय की पेश की है कि वाके ग्राम वमनपुरा तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 466 रकबा 21 एयर का अपीलान्ट भागचन्द खातेदार काश्तकार था। जिसके विरूद्व रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो न्यायालय द्वारा दावा वादीगण एकतरफा में डिक्री कर दिया। उक्त डिक्री के विरूद्व अपीलान्ट ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में पेश की थी। जिसमें अपीलान्ट ने न्याय नहीं मिलने के कारण मुन्तकिली राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर से राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां मुन्तकिल हुई उक्त अपील राजस्व अपील अधिकारी अलवर के न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2018 को खारिज निर्णित की गई। राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 29.06.2018 के विरूद्व

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील की गई, जो अब तक पेण्डिग है। उक्त अपील के चलते अपीलाधीन दाखिला खारिज खोला गया है जो गैर कानूनी है। अपीलाधीन दाखिला खारिज जल्दबाजी में मिल्लत पूर्ण तरीके से खोला गया है क्योंकि दाखिला खारिज उसी दिन पटवारी हल्का लुधावई द्वारा भरा जाकर उसी दिन भू0अ0निरीक्षक ने जांच की तथा उसी दिन तहसीलदार भरतपुर द्वारा तस्दीक किया गया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश काबिल निरस्तनीय है। इसके अतिरिक्त यह दाखिला खारिज सवर्ण जाति के नाम खोला गया है जबकि आराजी का खातेदार जाटव जाति से था। इसलिए उक्त आदेश धारा 42 आर.टी.एक्ट से बाधित है। अन्त में अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार भरतपुर का आदेश दिनांक 07.03.2019 नामान्तकरण संख्या 478 ग्राम वमनपुरा तहसील भरतपुर को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर से अपीलाधीन नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली है। पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने तर्को में अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया है कि विवादित आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की है और नामान्तकरण सवर्ण जाति के नाम दर्ज हुआ है, जो धारा 42 आर.टी.एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अलावा अपीलाधीन दाखिला खारिज पटवारी हल्का द्वारा जिस दिन भरा गया उसी दिन भू0अ0निरीक्षक द्वारा जांच की गई और उसी दिन तहसीलदार भरतपुर द्वारा दाखिला खारिज को तस्दीक किया गया। एक ही दिन में समस्त काम किये गये है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि यह दाखिला खारिज जल्दबाजी में आपसी मिल्लत से खोला गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। विवादित आराजी से सबंधित अपील मा0राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। अपील के चलते दाखिला खारिज नहीं खोला जा सकता। इस प्रकार अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण को खारिज करने का अपनी बहस में निवेदन किया गया है।

अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को नकारते हुए कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 31.10.2018 में स्पष्ट उल्लेख है कि साविक आराजी खसरा नम्बर 639 रकबा 1बीघा 16 बिस्वा,641 रकबा 1बीघा 8 बिस्वा किता 2 रकबा 3बीघा 04 बिस्वा कन्हैया पुत्र परसा की खातेदारी मे थे, जो रेस्पो0 के बाबा थे। उक्त रकबा को कन्हैया के निस्फ हिस्से पर सैटिलमेन्ट विभाग ने साविक आराजी के हाल खसरा नम्बर 465/0.29, 466/0.24 व 467/0.03 है0 बनाया। खसरा नम्बर 465 व 466 का कुल रकबा 53 एयर होता है जो साविक रकबा के बराबर है। कन्हैया के मरने के बाद रेस्पो0 को निस्फ हिस्से का खातेदार दर्ज कर दिया । कन्हैया का पुत्र बाबूलाल था और रेस्पो0 बाबूलाल के वारिसान है। कन्हैया व छिद्दा निस्फ–निस्फ हिस्से के खातेदार थे। छिद्दा ने अपना

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

निस्फ हिस्सा दिनांक 10.02.1974 को भागचन्द पुत्र गंगाराम जाटव को बेच दिया, जिसका दाखिला खारिज दिनांक 26.02.1975 को भागचन्द के नाम खातेदारी का निस्फ हिस्से का हो गया। सैटिलमेन्ट विभाग ने क्षेत्राधिकार से बाहर भागचन्द जो छिद्दा का केता है, को समस्त रकबा पर खातेदार दर्ज कर दिया जबकि वह केवल 1/2 हिस्सा का ही खातेदार था। तत्पश्चात् भागचन्द ने आराजी के 1/2 हिस्से की दिनांक 05.07.199 को किशनलाल पुत्र रामदयाल को विक्रय कर दिया। इस आधार पर उसका कोई हिस्सा शेष नहीं रहा। उसके बाद भी उसने अपने 1/2 हिस्सा को रामवती पत्नि मोहनसिंह को विक्रय कर दिया। इस प्रकार अपीलान्ट के आराजी में कोई भी हिस्सा शेष रहने का प्रश्न ही नहीं है। रेस्पो0 के बाबा के 1/2 हिस्सा बदस्तूर और उसी पर डिक्री के द्वारा खारिज खारिज रेस्पो0 के नाम दर्ज किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण तहत अदालत द्वारा सही भरा गया है। अपीलान्ट का आराजी में कोई हिस्सा शेष नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

हमने अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर उपलब्ध दस्तावेजात पर गौर किया पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 478 दिनांक 07.08.2019 से स्पष्ट है कि तहसीलदार भरतपुर द्वारा यह नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट्स के हक में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर की डिक्री दिनांक 31.10.2018 की पालना में बाद जांच स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट विवादित आरजी अपने हिस्से का बेचान कर चुका है ऐसी स्थिति में आराजी पर उसके कोई अधिकार शेष नही रहते हैं। तहसीलदार भरतपुर द्वारा सक्षम अदालत की डिक्री की पालना से नामान्तकरण खोला गया है जो कि विधि सम्मत् है। प्रकरण में धारा 42 आर.टी.एक्ट का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता हैं। हमारे न्यायिक मत में तहसीलदार भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य पाते है।

अतः आदेश है कि :–

अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार भरतपुर का आदेश दिनांक 07.03.2019 बावत् नामान्तकरण संख्या 478 वाके ग्राम वमनपुरा तहसील भरतपुर बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर